



कार्यालय ,रक्षा लेखा नियंत्रक
नं. 1स्टाफ रोड, सिकिंदराबाद,
Office of the Controller Of Defence Accounts
No.1 Staff Road, Secunderabad-500 009
(Tele:040-27843385 / 27847957
Fax: 040-27810499)



सं./No. AN/PAY/5022/IT/Corres

दिनांक/ Date: ०१ .01.2024

(महत्वपूर्ण परिपत्र / IMPORTANT CIRCULAR)
(वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए आयकर/ INCOME TAX FOR THE FY 2023-24)

विषय: निर्धारण वर्ष 2024-25 के लिए स्रोत पर आयकर की कटौती

Subject : Deduction of Income Tax at Source for the AY-2024-25

इस कार्यालय का दिनांक 06/03/2023 तथा 10/10/2023 की महत्वपूर्ण परिपत्र की ओर ध्यान खींचा जाता है जिसमें र.ले.नि., सिकिंदराबाद में सेवारत सभी अधिकारियों तथा स्टाफ जो पुरानी कर व्यवस्था को चुना है, उनसे अनुरोध किया जाता है कि वे कर बचत कागजात (जैसे किराये की रसीद, एल.आई.सी.प्रीमियम रसीद, पी.पी.एफ रसीद, गृह ऋण के लिए अनंतिम भुगतान प्रमाणपत्र, शिक्षा शुल्क रसीद आदि) पर यथा अपना नाम, निजी ले.सं. के साथ विधिवत स्व अभिप्रमाणित करके दिनांक 20/10/2023 तक भेजे। हालाँकि, उपरोक्त कागजात अनुभाग में टुकड़ों में प्राप्त हो रहे हैं।

Attention is drawn to this office Important Circular dated 06.03.2023 and 10.10.2023 wherein all Officers and Staff serving under CDA, Secunderabad who have opted for Old Tax regime, had been requested to forward the Income Tax Saving Documents (like Rent Receipts, LIC Premium Receipts, PPF Receipts, Provisional Payment Certificate for Home Loan, Tuition Fee Receipts etc) duly self attested with details such as Name Personal A/c No by 20.10.2023 positively. However, the above stated documents are being received in this section in a piecemeal.

इस कार्यालय की दिनांक 17th जनवरी, 2024 तक आयकर के बचत दस्तावेज की अंतिम सूची भेजने को सुनिश्चित किया जाए ताकि इस कार्यालय द्वारा कर देय का सही आंकलन किया जा सके तथा अधिनियम, 1961 की धारा 192(1) के अनुसार आयकर की वसूली को प्रभावित किया जा सके।

It may be ensured to forward final list of the Income Tax Saving Documents to this office by **17th Jan, 2024** positively to enable this office to arrive at the tax liability correctly and affect recovery of Income Tax, as per Section 192(1) of IT ACT, 1961.

कृपया नोट किया जाए कि उपरोक्त तिथि तक बचत का प्रमाण, यदि कोई हो, प्राप्त न होने की स्थिति में, यह कार्यालय जनवरी और फरवरी 2024 के वेतन बिल से दो किश्तों में देयता के अनुसार आयकर की वसूली करने के लिए बाध्य होगा।

It may please be noted that in the event of non-receipt proof of savings, if any, by the above date, this office will be constrained to recover of Income Tax as per the Income Tax Liability in **two equal** instalments from the paybill of Jan and Feb 2024.

कृपया इस परिपत्र के विषय को आपके कार्यालय में कार्यरत सभी अधिकारियों तथा स्टाफ के ध्यान में लाया जाए, जिनमें छुट्टी पर गए लोग भी शामिल हैं।

The contents of this circular may please be brought to the notice of all the officers and staff working in your office, including those on leave.

(एम.सुभाष कुमार/M Subhash Kumar)

सहा.नियंत्रक (प्रशा-वेतन)/ Asst. Controller (AN-Pay)

सेवा में /To,

मुख्य कार्यालय में सभी अनुभाग / Sections in Main Office

र.ले.नि., सिकिंदराबाद के अधीन सभी उप - कार्यालय /All sub-offices under CDA, Secunderabad

र.ले.नि (आई ई एस डी सी),सिकंदराबाद /The CDA (IT&SDC), Secunderabad

ई डी पी अनुभाग स्थानीय - वेब साइट पर अपलोड करने हेतु/ EDP Section Local-for uploading in Website